प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 130/2004

अपीलार्थी/वादी – बुटीराम, उम्र लगभग 68 वर्ष, पिता मोतीराम राम सौंरा (सांवरा), व्यवसाय– कृषि, वर्तमान निवास– पंडरीपानी (पूर्व) तहसील व जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण – 1. कीर्तन, उम्र लगभग 65 वर्ष, पिता भागीरथी सौंरा

2. संकीर्तन, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता भागीरथी सौंरा

3. सदराम, उम्र लगभग 70 वर्ष, पिता सकराम सौंरा

4. बंशीराम, उम्र लगभग 65 वर्ष, पिता सकराम सौंरा

5. श्यामलाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता हरिचंद सौंरा

6. डोकरी, उम्र लगभग 65 वर्ष, पति स्वर्गीय हरिचंद

7. सुलोचना, उम्र लगभग 48 वर्ष, पति स्वर्गीय रामलाल

8. घासिया, उम्र लगभग 26 वर्ष, पिता रामलाल

9. फुलकी, उम्र लगभग 58 वर्ष (मृत), पिता भृगदेव, द्वारा प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता रूसीराम, निवास जशपुरनगर (छत्तीसगढ़)

10. बेदमती, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता भृगदेव

11. बेदराम, उम्र लगभग 58 वर्ष, पिता सत्यानन्द अघरिया

12. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 1, एवं 3 से 6 एवं क्रमांक 9 से 11 निवासी ग्राम कनवरिहा, तहसील एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 2, निवासी ग्राम बंजारी, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 7 एवं 8 निवासी ग्राम शंकरपाली, तहसील डभरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

<u>धारा 100 सि. प्र. सं. के अंतर्गत द्वितीय अपील का मेमो</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 130/2004

बूटीराम

बनाम

कीर्तन राम और अन्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 13.12.2004 के लिए नियत

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 130/2004

बूटीराम

बनाम

कीर्तन राम और अन्य

अपीलार्थी की ओर से	–	श्री एच.एस. पटेल, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से	–	श्री नीरज मेहता, पैनल अधिवक्ता।

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

निर्णय

(13/12/2004)

प्रकरण ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया।

यह अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन दायर की गई है। वादी ने यह अपील सिविल अपील क्रमांक 37–ए/2002 में प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित दिनांक 30.12.2003 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री के विरूद्ध दायर की है, जो सिविल न्यायाधीश, श्रेणी–II रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा सिविल वाद क्रमांक 49–ए/1999 में दिनांक 28 जनवरी 2002 को पारित निर्णय और डिक्री से उद्भूत हुई है। वादी का वाद दोनों न्यायालयों में खारिज हो चुका है।

(2) इस अपील के निराकरण हेतु संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

वादी ने स्वामित्व की घोषणा के अनुतोष के लिए और यह घोषित करने के लिए भी एक सिविल वाद दायर किया कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 85/ए–23/1989/90 में दिनांक 25.3.1991 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश (प्र. पी. 5) शून्य है। उन्होंने कब्जे की पुष्टि के लिए भी प्रार्थना की और वैकल्पिक रूप से प्रार्थना की कि यदि उनका कब्ज़ा नहीं पाया जाता है, तो वादग्रस्त भूमियों को उनके कब्जे में पुनः स्थापित कर दिया जाए। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जिसका खसरा क्रमांक 121/2 क्षेत्रफल 31 डिसमिल और 365/4 क्षेत्रफल 1.43 एकड़ है। इस मामले में यह स्वीकार किया गया है कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 10 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और जाति से "**स्वरा**" हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 11 वेदराम जाति से "**अघरिया**" है जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही अनुसूचित जनजाति है। यह भी स्वीकृत है कि विक्रय विलेख दिनांक 24.5.1967 जो खसरा क्रमांक 121/2 क्षेत्रफल 31 डिसमिल (प्र.पी.1) से संबंधित है और विक्रय विलेख दिनांक 28.8.1970 जो खसरा क्रमांक 365/4 क्षेत्रफल 1.43 एकड़ (प्र.पी.2) से संबंधित है, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 10 के पूर्वजों द्वारा वादी के नाम पर निष्पादित किया गया था । यह भी स्वीकृत है कि अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ ने म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे "संहिता" कहा जाएगा) की धारा 170–ख के अंतर्गत ऊपर संदर्भित राजस्व प्रकरण क्रमांक के माध्यम से जांच की, जिसमें वादी ने भाग लिया और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 170– ख के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवादी क्रमांक 1 से 10 को वादग्रस्त भूमि वापस करने के लिए दिनांक 25.3.1991 को आदेश पारित किया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध वादी या प्रतिवादी क्रमांक 11 द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई और आदेश अंतिम हो गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) वादपत्र में आरोप है कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 10 के पूर्वजों से उस भूमि को उक्त दो पंजीकृत विक्रय विलेखों दिनांक 24.5.1967 और 28.8.1970 (प्र.पी.1 और पी–2) द्वारा क्रमशः 600/– रुपये और 3000/– रुपये के प्रतिफल पर खरीदा था। यह भी आरोप है कि उक्त कृषि भूमि का अधिपत्य भी वादी को सौंप दिया गया था और बिक्री सभी प्रकार से पूर्ण हो गई थी। तथापि संहिता की धारा 165 के उल्लंघन में अंतरण के संबंध में राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 170–ख के अधीन उक्त कार्यवाही इस आरोप पर शुरू की गई थी कि उपरोक्त विक्रय विलेखों के अधीन वादी के नाम पर दर्ज भूमि वास्तव में प्रतिवादी क्रमांक 11 की स्वामित्व और कब्जे की भूमि थी, जो एक सामान्य जाति से संबंधित है और वादी और प्रतिवादी 1 से 10 के पूर्ववर्तियों के बीच संव्यवहार एक *बेनामी* संव्यवहार था। वादी ने आगे आरोप लगाया है कि अनुविभागीय अधिकारी शिविर न्यायालय में आए और उन्होंने उसे देखा। यद्यपि कथन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्हें सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया। वास्तव में, वादी को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही में पारित दिनांक 25.3.1991 के आदेश के विषय में पता नहीं था और जब यह आदेश दिनांक 21.02.1994 को उनके संज्ञान में आया, तभी उन्होंने उपरोक्त सिविल वाद दायर किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी क्रमांक 11, अर्थात् वेदराम का वादी से कोई संबंध नहीं है और चूंकि संव्यवहार समरूप श्रेणियों (आदिवासी से आदिवासी) के बीच था, इसलिए संहिता की धारा 165 (6) उनके मामले में लागू नहीं होती है, इसलिए धारा 170–ख लागू नहीं होती है और उक्त कार्यवाही में पारित आदेश अवैध है। यह भी तर्क दिया गया है कि समुचित प्रक्रिया अपनाए बिना आदेश पारित किया गया है।

(4) प्रतिवादी क्रमांक 1 से 10 में से कुछ प्रतिवादीगण ने वादी के तर्कों का खंडन करते हुए अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि वास्तव में वादी द्वारा कोई खरीद नहीं की गई थी तथा संपत्ति का वास्तविक क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 11 था। चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 11 विधिक रूप से अपने नाम से संपत्ति खरीदने का हकदार नहीं था, इसलिए वादी के नाम से विक्रय विलेख

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्र.पी.1 एवं पी–2 के अनुसार निष्पादित किए गए। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई का उचित अवसर न दिए जाने के वादी के तर्कों का खंडन किया तथा तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः न्यायोचित था। प्रतिवादी क्रमांक 11 ने इस मामले में कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है।

(5) विद्वान विचारण न्यायालय ने विभिन्न विवाद्यक विरचित किए और पक्षकारों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, वादी के वाद को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वास्तव में, प्रतिवादी क्रमांक 11 ही वाद की भूमि का वास्तविक खरीदार था और उप–मंडल अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक और बाध्यकारी था और इसे पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उसकी अपील निरस्त कर दी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि करते हुए इस बिन्दु पर भी विचार किया कि चूंकि संहिता की धारा 170– ख के प्रावधान लागू होते हैं, इसलिए संहिता की धारा 257(1) के अन्तर्गत सिविल वाद वर्जित होगा। इस प्रकार दो प्रथम अपीलीय न्यायालयों में वाद ख़ारिज हो जाने के पश्चात वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अन्तर्गत इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

(7) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वास्तव में भूमि का वास्तविक क्रेता वादी है, जिसने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 10 के पूर्ववर्तियों से प्र.पी.1 और पी–2 के माध्यम से इसे खरीदा है। प्रतिवादी क्रमांक 11 का उपरोक्त संव्यवहार से कोई लेना–देना नहीं है और उप–मंडल अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 170– ख के अधीन किया गया निष्कर्ष अवैध है और उस पर बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में, उप–मंडल अधिकारी के समक्ष वादी को सुनवाई का कोई

अवसर नहीं दिया गया था और उप–मंडल अधिकारी द्वारा प्र.पी–5 के माध्यम से पारित आदेश यथावत नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि आदेश प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था और यह अमान्य है, इसलिए, संहिता की धारा 257(1) द्वारा बनाए गए प्रतिबंध के बाद भी सिविल न्यायालय को सिविल वाद पर विचार करने का अधिकार होगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि संव्यवहार *बेनामी* संव्यवहार नहीं थे और निष्कर्ष विधि की दृष्टि से अनुचित हैं।

(8) इस न्यायालय ने दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अध्ययन किया है तथा अभिलेखों का भी अवलोकन किया है। प्र.पी. 5 के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170– ख के अंतर्गत नियमित कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई थी तथा वादी को नोटिस जारी करने के पश्चात प्रकरण को उनके कैम्प न्यायालय में सुनवाई के लिए लिया गया था। वादी ने भी उक्त कार्यवाही में भाग लिया था तथा जांच के दौरान उसका साक्ष्य भी दर्ज किया गया था। वादी का साक्ष्य प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा प्र.डी.2 अंकित है। उक्त साक्ष्य में उसने स्वीकार किया है कि वस्तुतः प्रतिवादी क्रमांक 11 ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 10 के पूर्ववर्तियों से वाद की भूमि क्रय की थी, किन्तु विक्रय विलेख उसके नाम से निष्पादित किए गए थे। विक्रय मूल्य भी प्रतिवादी क्रमांक 11 द्वारा भुगतान किया गया था तथा उसका भुगतान उसके द्वारा नहीं किया गया था। वस्तुतः प्रतिवादी क्रमांक 11 वाद की भूमि पर अधिपत्य रखे हुए था। इन स्वीकारोक्ति और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि या तो अनुविभागीय अधिकारी ने वादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया है या उपरोक्त संव्यवहार के संबंध में उनके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विधि की दृष्टि से गलत हैं। वास्तव में, पूरे आदेश (प्र.पी.5) को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होगा कि वादी को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था और वादी ने स्वयं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 11 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 10 के पूर्ववर्तियों से विक्रय विलेख प्र.पी. 1 और पी.2 के माध्यम से वास्तविक क्रय के बारे में स्वीकार किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दोनो न्यायालयों ने यह निष्कर्ष दर्ज करते समय विधिक त्रुटि की है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक नहीं था तथा वह पक्षकारों पर बाध्यकारी था।

(10) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश या तो अमान्य था अथवा प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। इस न्यायालय की राय में राजस्व अधिकारी द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 170– ख के प्रावधानों के अंतर्गत पारित ऐसे आदेशों को संहिता की धारा 257(1) के अंतर्गत बनाए गए प्रतिबंध के अंतर्गत सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा वह अंतिम एवं बाध्यकारी है। इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायलय के साथ–साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह मानने में कोई त्रुटि नहीं की है कि वादी अपने पक्ष में डिक्री पारित करने के लिए अपना प्रकरण सिद्ध नहीं कर सका और दोनों विचारण न्यायलयों द्वारा उचित निर्णय और डिक्री पारित की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) चूंकि विधि के एक सारवान प्रश्न का अस्तित्व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संशोधित प्रावधानों के अधीन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए अनिवार्य शर्त है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने त्यागराजन और अन्य बनाम श्री वेणु गोपाल स्वामी बी. कोइल के प्रकरण में (2004) 5 एससीसी पृष्ठ 762 में प्रतिवेदित किया है और इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न शामिल नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन हस्तक्षेप करना चाहिए, वादी द्वारा दायर यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे ग्राह्यता के चरण में ही निरस्त किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

(12) परिणामस्वरूप, स्थगन हेतु एम.सी.पी. क्रमांक 347/2004 तथा तत्काल सुनवाई हेतु आई.ए. क्रमांक 751/2004 का निराकरण किया जाता है।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Avinash Singh , Advocate